

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज. जयपुर
क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-कोटा/22128/2024/ दिनांक:-

:- आदेश :-

श्रीमती रेखा चौहान, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र पोलाई कला, पीएचसी सीमलिया, खण्ड सुल्तानपुर जिला कोटा जिनकी जन्म तिथि 27.10.1966 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 28.01.1992 है, को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2024 को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। इनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा।

कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 18/03/2024

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-कोटा/22128/2024/527
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-कोटा।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुल्तानपुर, कोटा।
5. डीपीसी अनुभाग (अराजपत्रित), मुख्यालय।
6. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6092384

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :16-03-2024 11:07:04